



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05062026-273187
CG-DL-E-05062026-273187

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 399]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 5, 2026/ज्येष्ठ 15, 1948

No. 399]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 5, 2026/JYAISTHA 15, 1948

श्रम और रोजगार मंत्रालय

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 5 जून, 2026

सा.का.नि. 446(अ).— भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 344(अ), तारीख 8 मई, 2026, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड-3, उपखंड (i), में प्रकाशित हुई थी, के हिंदी पाठ में पृष्ठ संख्या 15 पर, पंक्ति 36 में, "लेवल 12" के स्थान पर "लेवल 11" पढ़ें।

[फा. सं. आर – 11011/03/2020-एसएस-II]

आशुतोष ए.टी. पेडणेकर, संयुक्त सचिव

4050 GI/2026